संख्या-19/2021/1593956/12-5099/1083/2019

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2021**

विषयः-प्रधानमंत्रीकृषि सिंचाई योजना के उप घटक पर ड्राप मोर क्राप-अदर इन्टरवेशन केअन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजनामें कृषकों का चयन एवं अनुदान भुगतान की डी0बी0टी0 व्यवस्थाके सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन के द्वारा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) तथा अन्य भुगतानों के विषय में शासनादेश संख्या 202/2017/543/12.3.2017-100(61)/12 टी.सी. दिनांक 26.05.2017 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त क्रम मेंप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेततालाब योजना में लाभार्थियों के ऑनलाइन चयन तथा अनुदान के डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित व्यवस्था निम्नलिखित है:-

1. पारदर्शीकिसान सेवा योजना के पोर्टल से खेत तालाब हेतु किसानों द्वारा टोकननिकालकर ऑनलाइन "प्रथम आवक प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर बुकिंग आरम्भकरने के 15 दिन पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

2. मुख्यालय स्तर से स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार विकासखण्डवार/जनपदवार लक्ष्य योजनाधिकारी द्वारा पोर्टल पर फीड किया जायेगा।

3. निर्धारित लक्ष्य का 1.5 गुना किसानो को खेत तालाब का प्रकार चुनते हुए ऑनलाइन टोकन बुक करने की व्यवस्था पोर्टल पर दी जायेगी, किन्तु कन्फर्म टोकन लक्ष्य की सीमा तक ही जनरेट होंगे।

4. पोर्टल से कन्फर्म टोकन निकालते हुये टोकन मनी जमा करने की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से किसानों के पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जायेगी तथा पोर्टल पर भीटोकन मनी जमा करने की अन्तिम तिथि प्रदर्शित होगी। किसी कारणवश यदि मोबाइलपर एस0एम0एस0 नही पहुँच पाता तो पोर्टल पर प्रदर्शित अन्तिम तिथि ही मान्य होगी।

5. किसानों को टोकन मनी यूनियन बैंक की "यू0पी0एग्रोशाखा" लखनऊ में जमा करना होगा। टोकन मनी जमा होने की सूचना यूनियन बैंकद्वारा ऑनलाइन कन्फर्म किया जायेगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक टोकेन मनी नजमा करने पर किसान की बुकिंग निरस्त हो जायेगी और प्रतीक्षा सूची मेंलक्ष्य से अधिक टोकन बुक कर चुके अगले किसान का टोकन कन्फर्म करते हुये उसेटोकन मनी जमा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

6. लघु तालाब हेतु टोकन मनी रू0 1000.00 तथा मध्यम तालाब हेतु रू0 2000.00 होगी।

7. टोकन मनी जमा होने की पुष्टि ऑनलाइन बैंक से प्राप्त होने के पश्चात अगामी 15दिन के अन्दर किसान को अपने निर्धारित खेत जिसमें तालाब खुदवाना है, उसकी खतौनी, खेत का फोटो तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

करना होगा। यदि 15दिन के अन्दर किसान द्वारा उपरोक्त परिपत्रों को पोर्टल पर अपलोड नही किया जाता है तो उनकी टोकन राशि जब्त कर ली जायेगी।

8. किसानद्वारा उक्त अभिलेख अपलोड करने के दो सप्ताह के अन्दर भूमि संरक्षणअधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर तालाब बनाने हेतु उपयुक्त भूमि स्थल कीपुष्टि पोर्टल पर ही ऑनलाइन करनी होगी, जो पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित होगी तथा किसान को खेत तालाब बनाने का एस0एम0एस0 भी पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जायेगा। यदि मैसेज नहीं पहुंचता तो भी पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना पर्याप्त होगी।

9. भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि स्थल खेत तालाब बनाने हेतु है उपयुक्त पाये जाने की पुष्टि पोर्टल पर करने के 30 दिन के अन्दर किसान को तालाब खुदवाना होगा।

10. प्रथम किश्त के भुगतान के पूर्व एक ही कोण से खेत तालाब की खुदाई होते हुए मशीनरी के साथ फोटो तथा खेत तालाब का आंकलन (Estimate) भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना होगा। दूसरी किश्त के भुगतान के पूर्व MB (Measurement Book) की प्रति तालाब खुदने तक की, मृदा कार्य का फोटो समान कोण से तथा तीसरी एवं अन्तिम किश्त से पूर्व पक्का इनलेट का पूर्व के कोण से फोटो एवं दरेशी सहित पूर्ण MB (Measurement Book) एवं सत्यापन संबंधी अभिलेख भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना होगा।उपर्युक्त तीनों स्तर पर लाभार्थी किसानो को स्थल पर खड़ा कर फोटो लेते हुएअपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. भुगतानप्रक्रिया तीन किस्तों में की जायेगी। प्रथम किश्त कार्य प्रारम्भ होनेसे सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के बाद कुल अनुदानितधनराशि का 50 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। द्वितीय किस्त (25 प्रतिशत) का भुगतान कच्चा कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट पश्चात् किया जायेगा। अन्तिम और तृतीय किस्त (25 प्रतिशत) का भुगतान पक्के इनलेट आदि के निर्माण की भूमि संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट अपलोड होने के पश्चात ही किया जायेगा।

12. तालाब पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र टोकन मनी की धनराशि कृषकों के खाते में वापस भेज दी जायेगी।

13. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टोकन बुकिंग अप्रैल 2021 से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

14. चूंकि कृषकों का चयन ''प्रथम आवक-प्रथम पावक'' विधि से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होना है, इसलिये चयन सूची का जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन नहीं होगा, पोर्टल से सम्बन्धित अभिलेख यथा नक्शा, सर्वे प्रपत्र, एम.बी., फील्ड बुक तथा अन्य अभिलेख पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराये जायेंगे तथा तकनीकी अनुमोदन उप कृषि निदेशक (भू0सं0) से पूर्ववत लिया जायेगा।

15. जिलावार लक्ष्य का निर्धारण कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-19(1)/2021/1593956(1)/12-5099/1083/2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

8. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रतिसमस्त सम्बन्धित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते हुए इसेकृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाये तथा 02 दिन के पश्चात इससम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग कर आवश्यकनिर्देश दिये जाये।

9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

10. समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।

11. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।

12. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।

13. समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।

14. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।

15. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।

16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।